सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 419 राँची, गुरूवार, 23 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

7 जुलाई, 2026

संचिका संख्याः-4/आरोप-04/2023 का० 4412--झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री अरबिन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची** के विरूद्ध निदेशालीय सकारण आदेश संख्या-652 (विधि) दिनांक-18.11.2019 द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध पत्रांक-202 दिनांक-08.02.2022 निर्गत करके सरकार को अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों के भुगतान की बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न करने, श्री लालकुरियस मिंज, सहायक शिक्षक, लुथेरन मध्य विद्यालय, गुमला के अनियमित नियुक्ति की वैधता प्रदान करने हेतु वेतन निर्धारण अनुमोदन से संबंधित संचिका का संधारण नहीं करके विभागीय स्क्रीनिंग समिति को गुमराह करने, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत करने, लुधेरन मध्य विद्यालय, गुमला में श्री नहुम लकड़ा के कार्यरत रहते उनके धारित पद को रिक्त मानकर विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त किये गये श्री लालकुरियस मिंज के गलत वेतनादि भुगतान के दावे को सही ठहराने का प्रयास करने, विभागीय संकल्प संख्या- 642 दिनांक- 01.03.2021 की गलत व्याख्या करने एवं विभागीय पदाधिकारियों को गुमराह करने संबंधी आरोप के लिये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-928 दिनांक-17.04.2023 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

2. विभागीय पत्रांक-2995 दिनांक-25.05.2023 द्वारा अनुलग्नक सहित आरोप पत्र की प्रति श्री सिंह को उपलब्ध कराते हुए आरोप पत्र पर बचावबयान समर्पित करने का निदेश दिया गया। बचाव बयान अप्राप्त होने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक-4516 दिनांक-04.08.2023 द्वारा श्री सिंह को स्मारित किया गया, परन्तु उनके द्वारा आरोप पत्र पर अपना बचाव-बयान समर्पित नहीं किया गया ।

3. आरोप पत्र पर बचाव-बयान प्राप्त नहीं हाने के फलस्वरूप श्री सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-363 दिनांक-17.01.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया ।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-364 दिनांक-09.09.2025 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

5. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री अरबिन्द कुमार सिंह को उनके विरूद्ध गठित सभी आरोपों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया ।

6. अतएव श्री अरबिन्द कुमार सिंह, तत्कालीन अवर सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 419 - 50